वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

विद्या परिषद की 72 वीं बैठक

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 72 वीं बैठक दिनांक 10 दिसंबर 2025 को अपरान्ह् 2.30 बजे ऑफलाईन एवं ऑनलाईन मोड पर आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलगुरू प्रो0 बी0एल0 वर्मा द्वारा की गई एवं बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :–

1. प्रो0 (डॉ0) नीता माथुर
   आचार्य, प्रबंध
   इन्दिरा गांधी रा0 मुक्त वि0वि0, नई दिल्ली। — सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)

2. प्रो0(सेवानिवृत्त) जी. सोरल
   मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर। — सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)

3. प्रो0 राखी गुप्ता,
   आचार्य रसायन विज्ञान
   आई0सी0एस0 जयपुर। — सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)

4. प्रो0 बी0 अरूण कुमार
   निदेशक (अकादमिक) एवं आचार्य, राजनीति विज्ञान,
   एवं परीक्षा नियंत्रक, वमखुविवि, कोटा। — सदस्य

5. प्रो0 सुबोध कुमार,
   आचार्य, पत्रकारिता वमखुविवि, कोटा । — सदस्य

6. प्रो0 क्षमता चौधरी
   आचार्य (अंग्रेजी),वमखुविवि,कोटा। — सदस्य

7. प्रो0 अनुरोध गोधा,
   आचार्य, वाणिज्य, वमखुविवि,कोटा — सदस्य

8. प्रो0 अनुराधा दुबे
   आचार्य, वनस्पति शास्त्र, वमखुविवि, कोटा — सदस्य

9. प्रो0 कीर्ती सिंह
   आचार्य (शिक्षा),वमखुविवि,कोटा। — सदस्य

10. डॉ0 जे0के0 शर्मा
    निदेशक, क्षे0के0 वमखुविवि,भरतपुर। — सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)

11. डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा — सदस्य
निदेशक, क्षे0के0 वमखुविवि,कोटा।

12. डॉ0 आलोक चौहान, — सदस्य
सहा0 आचार्य, भूगोल, वमखुविवि, कोटा

13. डॉ0 संदीप हुड्डा, — सदस्य
सहा0 आचार्य, प्राणी शास्त्र, वमखुविवि, कोटा

14. डा0 अकबर अली — सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)
सहा0 आचार्य (लोक प्रशसन) वमखुविवि,कोटा।

15. डॉ0 कपिल गौतम — सदस्य
सहा0 आचार्य (संस्कृत), वमखुविवि,कोटा।

16. डॉ0 रवि गुप्ता, — सदस्य
सहा0 आचार्य, गणित, वमखुविवि, कोटा

17. डॉ0 सुशील राजपुरोहित, — सदस्य
सहा0 आचार्य, भौतिक विज्ञान, वमखुविवि, कोटा

18. डॉ0 नीरज अरोड़ा, — सदस्य
सहा0 आचार्य, कम्प्यूटर साइंस, वमखुविवि, कोटा

19. डॉ0 पुरवा अग्रवाल, R.Ac.S — सदस्य सचिव
कुलसचिव

बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव द्वारा नव नियुक्त माननीय कुलगुरू महोदय का सदन से परिचय करवाते हुए उनका एवं नव मनोनीत सदस्या प्रो0 नीता माथुर, प्रतिनिधि इंदिरां गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का स्वागत करते हुए निर्वतमान कुलगुरू प्रो0 कैलाश सौडाणी एवं सदस्य प्रो0 नवल किशोर का उनके द्वारा किए गए कार्यो एवं अनुभव के लाभ के लिए सदन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

माननीय कुलगुरू महोदय द्वारा नवनियुक्त सदस्या एवं अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किए गए। माननीय कुलगुरू महोदय की अनुमति से कार्यसूची विवरण में उल्लेखित प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गए:–

72/01 विद्या परिषद की 71वीं बैठक 30 नवंबर 2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवं निर्णयों की पालना में की गई कार्यवाही का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

विद्या परिषद की 71वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अवलोकन उपरांत अनुमोदित किया गया एवं बैठक के निर्णयों की पालना में की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

72/02 नवीन शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप कार्यक्रम संरचना में किए गए संशोधनो के सम्बन्ध में जारी विभिन्न आदेशों की पुष्टि का प्रस्ताव।

नवीन शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप कार्यक्रम संरचना में किए गए संशोधनो के सम्बन्ध में जारी आदेशों की निरंतरता में प्रो0 कीर्ती सिंह द्वारा बताया कि प्रस्ताव में एम0ए0 शिक्षा एंव मनोविज्ञान विषयों के आदेश सम्मिलित नहीं हो सके है, प्रो0 कीर्ती सिंह, आचार्य शिक्षा विभाग द्वारा इन आदेशों को भी सदन से स्वीकृति के लिए अनुरोध किए जाने के उपरांत विद्या परिषद द्वारा निम्नलिखित आदेशों की पुष्टि की गई:–

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	सम्बन्धित विद्यापीठ	आदेश संख्या एवं दिनांक
01	एम0ए0 इतिहास (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)	मान0 एव सामा0 विद्यापीठ	274 दिनांक 26.12.2024
02	एम0ए0 भूगोल (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)	मान0 एव सामा0 विद्यापीठ	275 दिनांक 26.12.2024
03	एम0ए0 अर्थशास्त्र (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)	मान0 एव सामा0 विद्यापीठ	276 दिनांक 26.12.2024
04	एम0ए0 राज0विज्ञान (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)	मान0 एव सामा0 विद्यापीठ	277 दिनांक 26.12.2024
05	एम0ए0 पुलिस प्रशासन (पूर्वार्द्ध एवं उतरार्द्ध)	मान0 एव सामा0 विद्यापीठ	278 दिनांक 26.12.2024
06	एम0ए0 हिन्दी (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)	मान0 एव सामा0 विद्यापीठ	279 दिनांक 26.12.2024
07	एम0ए0 समाज शास्त्र (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)	मान0 एव सामा0 विद्यापीठ	280 दिनांक 26.12.2045
08	एम0ए0 अंग्रेजी (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)	मान0 एव सामा0 विद्यापीठ	281 दिनांक 26.12.2024
09	एम0ए0 संस्कृत (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)	मान0 एव सामा0 विद्यापीठ	282 दिनांक 26.12.2024
10	एम0ए0 राजस्थानी (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)	मान0 एव सामा0 विद्यापीठ	283 दिनांक 26.12.2024
11	1. एम0 कॉम (कामर्स) 2. एम0बी0ए0	वाणिज्य एवं प्रबंध विद्यापीठ	1909 दिनांक24.12.2024
12	एम0 ए0 शिक्षा	शिक्षा विद्यापीठ	2297(1) दि0 26.12.24
13	एम0 ए0 मनोविज्ञान	शिक्षा विद्यापीठ	2297(2) दि0 26.12.24

72/03 मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु नवीन पाठ्यक्रम "शोध प्रविधि" इकाईवार पाठ्यक्रम सम्मिलित करने का प्रस्ताव।

इंदिरा गांधी रा0 मु0 विश्वविद्यालय की प्रतिनिधी प्रो. राखी गुप्ता ने पाठ्यक्रम में Ethics का पेपर भी सम्मिलित करने का सुझाव प्रदान किया । इस संबंध में उन्हें यह अवगत कराया गया कि पाठ्यक्रम में Ethics से संबंधित इकाईयों का समावेश कर लिया गया है।

प्रस्तावानुसार मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों (अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, पुलिस प्रशासन, इतिहास एवं समाज शास्त्र) हेतु प्रस्तुत नवीन पाठ्यक्रम ''शोध पाविधि'' इकाईवार पाठ्यक्रम संरचना को अनुमोदित किया गया।

72/04 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) – 2020 के अंतर्गत बी.ए. (स्नातक) कार्यक्रम संरचना का कार्यान्वयन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा स्नातक (बी.ए.) कार्यक्रम की संरचना को एनईपी – 2020 की भावना के अनुरूप किए गए पुनर्संरचित कार्यक्रम को सत्र जनवरी 2025 से लागू किया जाने की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।

माननीय सदस्य शिक्षाविद सदस्य प्रो. जी. सोरल ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कार्यक्रम संरचना में Major ओर Minor विषय व्यवस्था को भी समावेश किया जावे। इस सुझाव के संबंध में समीक्षा एवं अनुशंसा हेतु एक समिति गठन के लिए माननीय कुलगुरु महोदय को अधिकृत किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) – 2020 के अंतर्गत बी.ए. (स्नातक) कार्यक्रम संरचना का कार्यान्वयन के तहत स्नातक (बी.ए.) कार्यक्रम की संरचना को एनईपी – 2020 की भावना के अनुरूप किए गए पुनर्संरचित कार्यक्रम को सत्र जनवरी 2025 से लागू किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

72/05 एम0एस0सी0 (गणित) एम.ए.टी.303 (रिसर्च मेथैमेटिक्स इन साइंस) पाठ्यक्रम को 04 क्रेडिट का किए जाने एवं पाठ्यक्रम का नाम रिसर्च मेथड्स किए जाने सम्बन्धी आदेश संख्या 427–31 दिनांक 25.10.25 की पुष्टि तथा एनईपी 2020 लागु करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत प्रवेश सत्र जनवरी 2025 से एमएससी गणित कार्यक्रम के लिए सेमेस्टरवार पाठ्यक्रम संरचना एवं सिलेबस के अनुमोदन का प्रस्ताव।

सदन द्वारा आदेश संख्या 427–31 दिनांक 25.10.25 की पुष्टि किए जाने के निर्णय सहित एनईपी 2020 लागु करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत प्रवेश सत्र जनवरी 2025 से एमएससी गणित कार्यक्रम के लिए सेमेस्टरवार पाठ्यक्रम संरचना एवं प्रस्तुत एम.ए.टी–303 (4 क्रेडिट) सिलेबस का अनुमोदन किया गया।

72/06 शोध कार्यक्रम के लिए आवश्यक शिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष सत्रानुसार लिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

शोध कार्यक्रम के लिए आवश्यक शिक्षण शुल्क सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधिकांश सदस्यगणों के विचार थे कि प्रस्ताव को स्वीकार करने से शोद्यार्थियो में निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के बाद शीघ्र शोध कार्य पूर्ण करने की प्रवृति कम होगी, अतः विद्यार्थी के प्रवेश के आधार पर आवश्यक शिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष रहने जाने को अनुमोदित किया गया। उक्त विचार विमर्श के क्रम में निदेशक, शोध द्वारा प्रस्ताव वापिस लेने की जानकारी से सदन को अवगत करवाया गया।

72/07 शोध अधिनियम 2022 में गठित रिसर्च बोर्ड में सदस्य के लिए जिन विषयों में आचार्य है उनमें भी बाह्य विशेषज्ञ की नियुक्ति का प्रस्ताव।

निदेशक शोध द्वारा प्रस्ताव की आवश्यकता एवं उपयोगिता के संदर्भ में सदन को जानकारी प्रदान की गई कि बाह्य विशेषज्ञों को भी रिसर्च बोर्ड का सदस्य बनाए जाने से उनके अनुभव का लाभ विश्वविद्यालय एवं शोद्यार्थियों को प्राप्त होगा उक्त जानकारी उपरांत रिसर्च बोर्ड में जिन विषयों में विश्वविद्यालय में आचार्य है, उनमें भी बाह्य विशेषज्ञ की नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

72/08 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित Ph.D. कार्यक्रम को जनवरी सत्र से संचालित किए जाने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित Ph.D. कार्यक्रम को जनवरी सत्र से संचालित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

72/09 Ph.D. कार्यक्रम के कोर्सवर्क सतत् मूल्यांकन, परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए आंतरिक संकाय सदस्यों को परीक्षा विभाग के नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा के प्रारंभ में प्रो0 क्षमता चौधरी द्वारा बताया गया कि पूर्व में विश्वविद्यालय के जिस आदेश से बाह्य परीक्षकों को मानदेय प्रदान किया जा रहा है, वे आदेश राजभवन द्वारा जारी आदेश की पालना में जारी हुए है। कुलसचिव द्वारा राजभवन के आदेश की प्रति सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध करने पर तत्काल आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं हो सकने के कारण सदस्य सचिव के रूप में कुलसचिव द्वारा राजभवन के आदेश देखने के उपरांत ही कोई निर्णय करने की जानकारी से सदन को अवगत करवाया गया।

चर्चा में भाग लेते हुए बाह्य शिक्षाविद्व सदस्य प्रो0 जी0 सोरल, राखी गुप्ता एवं ई.गां.रा.मु. वि.वि. की प्रतिनिधी प्रो0 नीता माथुर द्वारा बताया गया कि उनके विश्वविद्यालयो में भी रिसर्च कार्यक्रम के कोर्सवर्क सतत् मूल्यांकन, परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए आंतरिक संकाय सदस्यों को मानदेय की दरें निर्धारित है।

चर्चा उपरांत सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के आंतरिक संकाय सदस्यों को प्रस्ताव के अनुसार मानदेय दिए जाने की सैद्वान्तिक सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण वित्तीय प्रकृति का होने के कारण आगामी वित्त समिति/प्रबंध मंडल में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। कुलसचिव द्वारा राजभवन के आदेश देखने के उपरांत ही कोई निर्णय करने का अनुरोध करते हुए मानदेय दिए जाने के सैद्वान्तिक निर्णय पर असहमति दर्ज करवाई गई।

72/10 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के शुल्क में किए गए संशोधन सम्बन्धी आदेश संख्या 1609 दिनांक 15 जनवरी 2025 की पुष्टि का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के शुल्क में किए गए संशोधन के सम्बन्ध में प्रो0 अनुरोध गोधा द्वारा सदन को जानकारी प्रदान की गई तदुपरांत कार्यक्रमों के शुल्क सम्बन्धी आदेश संख्या 1609 दिनांक 15 जनवरी 2025 की पुष्टि की गई।

72/11 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पंजीकृत छात्रों को फीस रिफंड करने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र संख्या 1–क/2025 (GDB/fee Nivaran Cell) (case no 2 Dated 01-07-2025) दिनांक 01 जुलाई 2025 में प्रदान किए गए निर्देशों का लागू करने हेतु प्रस्ताव अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

शुल्क वापसी सम्बन्धी यु0जी0सी0 नियमों की अक्षरशः पालना में कठिनाई के सम्बन्ध में प्रो0 अनुरोध गोधा द्वारा सदन को अवगत करवाया कि अंतिम तिथी के बाद शुल्क वापसी करने के नियम लागू किए जाने से विद्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के आवेदन प्रस्तुत करने से उन्हें छात्रवृत्ति स्वीकृत एवं उनके द्वारा पूर्व ही पुस्तकें प्राप्त करने की स्थिति के प्रकरण उत्पन्न हो जाएंगे।

सदन में प्रो0 अनुरोध गोधा के कथन पर विचार व्यक्त किए गए कि यदि यू0जी0सी0 नियमों की पालना नहीं की गई तो, विभिन्न स्तरों पर / न्यायालयों में शिकायतें किए जाने के प्रकरण बढने की संभावना है,और मुश्किलें बढ़ेंगी। अतः उक्त विचार विमर्श उपरांत

विद्या परिषद द्वारा निर्णय किया कि जिन छात्रों द्वारा शुल्क वापसी के लिए आवेदन किया जाता है उनसे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में छात्रवृत्ति के आवेदन प्रस्तुत नहीं करने एवं किसी भी छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्राप्त किया जाए एवं यदि पाठ्यसामग्री प्रदान कर दी गई है तो उक्त पाठ्यसामग्री भी (यथा प्रेषित स्वरूप अर्थात बिना फटे, बिना पैन निशान मुद्रित स्वरूप) जमा करवाने का प्रमाण पत्र लिए जाने के उपरांत शुल्क वापसी की प्रक्रिया अपनाते हुए यू0जी0सी0 नियमों के अनुसार शुल्क लौटाने की कार्यवाही की जाए।

72/12 मनोविज्ञान पाठ्यक्रमों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) को स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में शिक्षा विद्यापीठ द्वारा जारी आदेश संख्या 2375 दिनांक 12.08.25 की पुष्टि का प्रस्ताव।

मनोविज्ञान पाठ्यक्रमों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) को स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में शिक्षा विद्यापीठ द्वारा जारी आदेश संख्या 2375 दिनांक 12.08.25 को स्वीकृति प्रदान की गई।

72/13 विज्ञान एवं तकनीक विद्यापीठ द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्युरो के निर्देश की पालना में बायोटेक्नोलोजी पाठ्यक्रम को स्थगित करने सम्बन्धी कार्यालय आदेश संख्या 407 दिनांक 19.08.2025 की पुष्टि का प्रस्ताव।

विज्ञान एवं तकनीक विद्यापीठ द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के निर्देश की पालना में बायोटेक्नोलोजी पाठ्यक्रम को स्थगित करने सम्बन्धी कार्यालय आदेश संख्या 407 दिनांक 19.08.2025 को स्वीकृति प्रदान की गई।

72/14 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) – 2020 के अंतर्गत *एम.एससी* (Physics, Chemistry, Botany, Zoology) कार्यक्रम संरचना को एनईपी – 2020 की भावना के अनुरूप की गई पुर्नसंरचना को संत्र जनवरी 2025 से लागू किए जाने संबंधी प्रस्ताव।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) – 2020 के अंतर्गत *एम.एससी* (Physics, Chemistry, Botany, Zoology) कार्यक्रमों को एनईपी – 2020 की भावना के अनुरूप की गई पुर्नसंरचना एवं इस संरचना में M.Sc. Research Methodology (MSCRM) पाठ्यक्रम को समन्वित रूप से सम्मिलित करते हुए इसे सत्र जनवरी 2025 से लागू किए जाने की पुष्टि की गई।

72/15 (1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) – 2020 के अंतर्गत बी.एससी.(स्नातक) कार्यक्रम संरचना को एनईपी – 2020 की भावना के अनुरूप किए गए पुर्नसंरचना को सत्र जुलाई 2025 से लागू किए जाने संबंधी प्रस्ताव ।

बी.एससी.(स्नातक) कार्यक्रम संरचना को एनईपी – 2020 की भावना के अनुरूप किए गए पुर्नसंरचना को सत्र जुलाई 2025 से लागू किए जाने की पुष्टि की गई। माननीय सदस्य शिक्षाविद सदस्य प्रो. जी. सोरल ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कार्यक्रम संरचना में Major ओर Minor विषय व्यवस्था को भी समावेश किया जावे।

72/15 (2) उक्त निर्णय उपरांत बी. एससी. समन्वयक द्वारा विज्ञान स्नातक कार्यक्रम में दो विषय समूहों (प्रथम विषय समूह में अर्थ शास्त्र गणित एवं भूगोल एवं दि्वतीय विषय समूह में अर्थ शास्त्र गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान) पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे स्थगित रखने पर सदन द्वारा सहमती प्रदान की गई।

72/16 एम0 एससी0 (Botany, Chemistry,Physics,Zoology)कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम Research Methodology की संरचना के अनुमोदन का प्रस्ताव।

एम0 एससी0 (Botany, Chemistry,Physics,Zoology)कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम Research Methodology की संरचना को अनुमोदित किया गया।

72/17 मीडिया राईटिंग में प्रमाण पत्र प्रारंभ करने की सैद्धान्तिक सहमति का प्रस्ताव।
प्रो0 सुबोध कुमार द्वारा विस्तृत पाठ्यक्रम को विद्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की जानकारी प्रदान किए जाने के उपरांत सदन द्वारा मीडिया राईटिंग में प्रमाण पत्र कार्यक्रम रोजगारोन्मुखी होने के कारण इसे प्रारंभ करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।

72/18 मानविकी एवं सामाजिक विद्यापीठ के जर्मन/फ्रेंच/स्पेनिश में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव।
जर्मन/फ्रेंच/स्पेनिश भाषा में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रारंभ करने की सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की गई, यह निर्णय किया गया कि इन कार्यक्रमों में प्रवेश की योग्यता सीनियर सैकण्डरी रखी जाए एवं न्यूनतम अंकों बाध्यता भी नहीं रखी जाए।

72/19 72/19 वाणिज्य एवं प्रबंध विद्यापीठ के अधीन पूर्व में स्थगित किए गए कार्यक्रमों को पुनः प्रारंभ करने एवं नवीन कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के सैद्धान्तिक स्वीकृति का प्रस्ताव।

पूर्व स्थगित कार्यक्रमों को पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता पर प्रो0 अनुरोध गोधा द्वारा सदन को आवश्यक जानकारी प्रदान किए जाने के उपरांत पूर्व में स्थगित किए गए कार्यक्रमों को पुनः आवश्यक संशोधन कर प्रारंभ करने एवं नवीन कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस हेतु पुनः प्रारंभ करने वाले कार्यक्रमों व नवीन कार्यक्रमों (एकाउंटिंग, बीमा, पर्यटन, आयात–निर्यात एवं खुदरा व्यापार)के सम्बन्ध में प्रो0 जी0 सोरल द्वारा विचार व्यक्त किए गए कि पुनः प्रारंभ किए जाने वाले विषयों में

व्यवहारिक (प्रेक्टिकल) अंश जोड़े जाएं। सदन द्वारा प्रो0 जी0 सोरल के सुझाव पाठ्यक्रम निमार्ण के समय ध्यान रखने के निर्देश प्रदान करते हुए पुनः प्रारंभ करने एवं नवीन कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण समिति गठित कर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने की सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई।

72/20 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में एम.फिल / एम.ए. कार्यक्रमों में संचालित पाठ्यक्रमों में नवीन पाठ्यक्रम जोड़े जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदस्य इंदिरा गांधी रा0 मु0 विश्वविद्यालय की प्रतिनिधी प्रो0 नीता माथुर द्वारा विचार व्यक्त किए कि एम0फिल के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम एवं एम0ए0 कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम का स्तर अलग–अलग होता है ऐसी स्थिति में प्रस्ताव को स्वीकार करने से भविष्य में व्यहारिक कठिनाई आएगी इस क्रम में प्रो0 क्षमता चौधरी द्वारा प्रो0 माथुर के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए सदन को अवगत करवाया कि एम0 फिल0 की जो पुस्तके वर्तमान में प्रिंटेड उपलब्ध है उनमें से कुछ चैप्टर को एम0 ए0 कार्यक्रम के लिए हटा कर उनका उपयोग किया जाएगा उसके बाद नव मुद्रित सामग्री में पाठ्यक्रम पुनः संशोधित किया जाएगा । प्रो0 क्षमता चौधरी के उक्त आश्वासन के आधार पर मानाविकी एवं सामाजिक विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित निम्नलिखित स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में शोध प्रविधि विषय को अनवार्य पेपर के रूप में सम्मिलित किया जाने का निर्णय किया गया:–

1. एम0ए0 संस्कृत
2. एम0ए0 हिन्दी
3. एम0ए0 राजस्थानी
4. एम0ए0 भूगोल
5. एम0ए0 अंग्रेजी

साथ ही उपरोक्त संदर्भ में "शोध प्रविधि" विषय का ईकाईवार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर सक्षम स्वीकृति पश्चात लागू करने का अनुमोदन किया गया।

72/21 मानविकी एवं सामाजिक विद्यापीठ के स्नातक भूगोल एवं गृह विज्ञान कार्यक्रमों में प्रायोगिक पाठ्यक्रम के कुल अंक 50 के स्थान पर 100 किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

मानविकी एवं सामाजिक विद्यापीठ के स्नातक भूगोल एवं गृह विज्ञान कार्यक्रमों में प्रायोगिक पाठ्यक्रम के कुल अंक 50 के स्थान पर 100 किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

72/22 **NEP 2020 आधारित कार्यक्रमों में अनुत्तीर्ण विध्यार्थियों की अंक-तालिका(यें) उनके द्वारा तर्क-संगत आवश्यकता हेतु आवेदन करने पर ही प्रेषित किए जाने का प्रस्ताव।**

प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को प्रस्ताव के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी से अवगत करवाया गया, सदस्यगणों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने–अपने विचार प्रस्तुत किए जाने के उपरांत सदन को यह अवगत करवाया कि विद्यार्थियों को उनके परीक्षा परिणाम सहित अन्य अपडेट की जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाईट पर स्टुडेंट वनव्यू पर उपलब्ध करवाई जाती है। प्रो0 जी0 सोरल द्वारा विचार व्यक्त किए गए कि यदि विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है ता उत्तीर्ण विषयों के लिए उसे समुचित प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया निर्धारित की जाए। इसके उपरांत विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया कि एन0ई0पी0 2020

आधारित कार्यक्रमों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को अंकतालिकाऐं जारी नहीं की जाए, केवल यदि कोई विद्यार्थी अपने वर्तमान अर्जित क्रेडिट का लाभ अन्य विश्वविद्यालय से डिग्री पूर्ण करने के लिए लेना चाहता है तो छात्र की मांग पर अनुत्तीर्ण छात्र को अंकतालिका प्रथम बार निशुल्क एवं उसके बाद उसकी डुप्लिकेट प्रति के लिए नियमानुसार शुल्क जमा करवाने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी तथा एन0ई0पी02020 के प्रावधान की पालना में उत्तीर्ण विषयों का उसे समुचित प्रमाण पत्र (सर्टिफिकिट/डिप्लोमा अथवा उपाधि) प्रदान की जाएगी।

72/23 **जनवरी 2025 से संचालित NEP 2020 आधारित कार्यक्रमों के लिए ग्रेस अंक (Grace marks) की व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव|**

जनवरी 2025 से संचालित NEP 2020 आधारित सभी कार्यक्रमों (स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमा और प्रमाण पत्र) के परिणाम निर्धारित करते समय ग्रेस अंक उसी स्थिति में दिया जाना सदन द्वारा स्वीकार किया गया जब ऐसे अंक से विद्यार्थी सम्पूर्ण कार्यक्रम को उत्तीर्ण करने की स्थिति में हो| ग्रेस अंक केवल सत्रांत परीक्षा में निम्नानुसार प्रदान किए जाने की व्यवस्था को अनुमोदित किया गया :-

1. एक वर्षीय कार्यक्रम में अधिकतम एक प्रश्न पत्र में-अधिकतम 06 अंकों का ग्रेस प्रदान किए जाएँगे |
2. दो वर्षीय कार्यक्रम में अधिकतम दों प्रश्न-पत्रों में अधिकतम 12 अंक एक)प्रश्न-पत्र में अधिकतम 06 अंकों का ग्रेस प्रदान ग्रेस प्रदान किए जाएँगे |
3. तीन वर्षीय कार्यक्रम में अधिकतम तीन प्रश्न-पत्रों में अधिकतम 18 अंक एक)प्रश्न-पत्र में अधिकतम 06 अंकों का ग्रेस ग्रेस प्रदान किए जाएँगे |
4. 06 माह के प्रमाणपत्र कार्यक्रम में अधिकतम एक प्रश्न-पत्र में अधिकतम 03 अंकों का ग्रेस प्रदान ग्रेस प्रदान किए जाएँगे |

   जनवरी 2025 से पूर्व संचालित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ग्रेस अंक प्रदान करने की व्यवस्था पूर्वानुसार ही लागू होगी।

72/24 **पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन का समय सीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने का प्रस्ताव|**

पुनर्मूल्यांकन की समय सीमा करने के प्रस्ताव पर सदस्यों का मत था कि छात्र को वर्तमान अवधि ही कम लगती है, छात्रों द्वारा क्षेत्रीय केन्द्रों पर संपर्क कर अवधि बढाने लिए अनुरोध किया जाता रहता है, ऐसी स्थिति में अवधि कम करने के प्रस्ताव से छात्रों को जानकारी के अभाव में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने उक्त विचार विमर्श के क्रम में सदन को बताया कि एन0ई0पी0 2020 के तहत प्रति 06 माह में सेमेस्टरवाइज परीक्षा करवाने में कार्य में कठिनाई आएगी इस कारण प्रस्ताव पेश किया गया है, इस जानकारी के क्रम में प्रो0 अनुरोध गोधा का मत था कि यदि अवधि कम की जाती है तो विद्यार्थी को जारी किए जाने वाले परीक्षा प्रवेश पत्र पर ही उल्लेख किया जाए कि परीक्षा परिणाम की जानकारी के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाईट का अवलोकन करे एवं परिणाम जारी होने के दस दिवसों तक ही पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान की जाएगी, साथ ही यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम जारी होने की सूचना एवं पुनर्मूल्यांकन अवधि दस दिवस होने की जानकारी एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए, सदन अन्य सदस्यों द्वारा भी प्रो0 गोधा के मत से सहमति

व्यक्त किए जाने के उपरांत प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत सुझाव के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। तदुपरांत सदन द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन की अवधि परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से पूर्व व्यवस्था 15 दिवस से कम कर 10 दिवस करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

प्रस्ताव में उल्लेख के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के बाद यदि सम्बन्धित प्रश्न पत्रों में उस विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को न्यूनतम उत्तीर्णांक (36 प्रतिशत) देकर उत्तीर्ण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।यह व्यवस्था प्रवेश सत्र जनवरी 2025 तथा इससे पूर्व सभी प्रवेश सत्र कार्यक्रमों के लिए लागू होगी।

72/25 **जनवरी 2025 से संचालित NEP 2020 आधारित कार्यक्रमों के लिए मर्सी अवसर (Mercy Chance) समाप्त करने की व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव|**

प्रवेश सत्र जनवरी 2025 से संचालित सभी कार्यक्रमों के लिए मर्सी अवसर (Mercy Chance) समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई |

मर्सी अवसर की व्यवस्था प्रवेश सत्र जनवरी २०२५ से पूर्व सभी प्रवेश सत्रों के कार्यक्रमों के लिए पूर्वत: ही लागू रहेगी |

72/26 **आंतरिक गृह कार्य व प्रोजेक्ट जमा करने व मूल्यांकन संबंधी प्रस्ताव|**

आंतरिक मूल्यांकन व प्रोजेक्ट जमा व मूल्यांकन संबंधी निम्न व्यवस्था की स्वकृति प्रदान की गई -:

i. जनवरी प्रवेश सत्र के लिए आंतरिक मूल्यांकन व प्रोजेक्ट दिनांक 15 मार्च से 15 मई तक जमा करवाए जाने की व्यवस्था का अनुमोदित किया गया | इस सत्र के लिए प्रत्येक क्षेत्रिय केन्द्र आंतरिक मूल्यांकन जंचवाकर दिनांक 15 जून तक अंक उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की गई |

ii. जुलाई प्रवेष सत्र के लिए आंतरिक मूल्यांकन व प्रोजेक्ट दिनांक 15 अगस्त से 15 नवंबर तक जमा करवाए जाने की व्यवस्था पर सहमती व्यक्त करते हुए , इस सत्र के लिए प्रत्येक क्षेत्रिय केन्द्र आंतरिक मूल्यांकन जंचवाकर दिनांक 15 दिसम्बर तक अंक उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की गई

iii. जो विद्यार्थी निर्धारित अवधि के भीतर आंतरिक मूल्यांकन व प्रोजेक्ट जमा करने मे असफल रहेंगे,उन्हें अगली परीक्षा के लिए तय की गई उपर्युक्तानुसार 3 महीने की अवधि में आंतरिक मूल्यांकन व प्रोजेक्ट जमा करवाने की अनुमति देने की व्यवस्था का अनुमोदन किया गया , ऐसे विध्यार्थियों का परिणाम अगली परीक्षा में ही घोषित किए जाने की व्यवस्था को स्वीकार किया गया |

iv. वर्तमान में संचालित B.Ed. कार्यक्रम व प्रवेश सत्र जनवरी 2025 से पूर्व प्रवेशित विद्यार्थी; जिनकी कार्यक्रम की अधिकतम अवधि बकाया हो, को दोंनो सत्रों के लिए दी जाने वाली समयावधि मे से किसी भी समयावधि आंतरिक मूल्यांकन व प्रोजेक्ट जमा करवाने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया गया |

सदन द्वारा इस बाबत भी स्वीकृति प्रदान की कि अपरिहार्य कारणों से उपयुक्त तिथियों में परिवर्तन माननीय कुलगुरु महोदय की अनुमति से किया जा सकता है |

72/27 "राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) - 2020 के अंतर्गत Diploma in Computer Application (Online) एवं Diploma in Library and Information Science (Online) कार्यक्रम संरचना के क्रियान्वयन को जवारी 2025 से सम्मिलित किए की पुष्टी का प्रस्ताव |

(एनईपी) - 2020 के अंतर्गत Diploma in Computer Application (Online) एवं Diploma in Library and Information Science (Online) कार्यक्रम संरचना के क्रियान्वयन को जनवरी 2025 से सम्मिलित किए जाने की पुष्टी की गई |

72/28 "राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) - 2020 के अंतर्गत Master of Science (Computer Science) कार्यक्रम संरचना के क्रियान्वयन को सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्ताव।

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) - 2020 के अंतर्गत Master of Science (Computer Science) कार्यक्रम संरचना के क्रियान्वयन को जनवरी 2025 से सम्मिलित किए जाने की पुष्टी की गई |

72/29 वर्ष 2024–25 की सीका रिपोर्ट का अनुमोदन।

वर्ष 2024–25 की सीका रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया।

निर्धारित कार्यसूची विवरण पर चर्चा एवं निर्णय उपरांत ग्रेस पास संम्बन्धी कार्यवाही से पूर्व आसन की अनुमति से निम्नलिखित तीन टेबिल एजेंडा पर चर्चा उपरांत निर्णय किए गए:–

72/29(1) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU), कोटा में भारतीय ज्ञान परम्परा (IKS) पर एक ऑनलाइन/ आफलाइन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव।

भारतीय ज्ञान परम्परा (IKS) पर ऑनलाइन/ आफलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की सैध्द्न्तिक स्वीकृति प्रदान की गई |

72/29(2) कर्मकाण्ड में प्रमाण पत्र (Certificate in Karmakand) कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ हेतु प्रस्ताव।

कर्मकाण्ड में प्रमाण पत्र (Certificate in Karmakand) कार्यक्रम को आगामी प्रवेश सत्र से पुनः प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई |

72/29(3) विश्वविद्यालय में प्रवेश सत्र जनवरी 2025 से NEP 2020 लागु की जा चुकी है इसके क्रियान्वयन हेतु आदेश जारी किए गए है संलग्न कार्यालय आदेश सदन के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है |

प्रवेश सत्र जनवरी 2025 से NEP 2020 के क्रियान्वयन हेतु जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों की पुष्टी की गई :-

(1) कार्यक्रमों की सेमेस्टर व अन्य व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय आदेश क्रमाँक व.म.खु.वि./SHSS/2024/284 दिनाँक 28.12.2024

(2) ग्रेडिंग व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय आदेश क्रमाँक व.म.खु.वि./SHSS/2024/285 दिनाँक 28.12.2024 में निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन करने का निवेदन परीक्षा नियंत्रक द्वारा किया गया :- "जारी आदेश में CGPA प्रतयेक वर्ष में निर्धारित किए जाने की व्यवस्था थी जिसे परिवर्तित कर CGPA को कार्यक्रम के अंतिम स्मिस्टर की अंक तालिका में ही उल्लेख किया जाने हेतु स्वीकृति का निवेदन किया गया, जिसे सदन द्वारा अनुमोदित किया गया।

(3) पुस्तक प्रेषण व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय आदेश क्रमाँक व.म.खु.वि./SHSS/2024/286 दिनाँक 28.12.2024

72/29(4) मास्टर ऑफ साइस (कंप्यूटर साइंस) कार्यक्रम के पाठ्यक्रम की MSCCSR-207 Research Methodology संरचना के अनुमोदन का प्रस्ताव।

मास्टर ऑफ साइस (कंप्यूटर साइंस) कार्यक्रम के पाठ्यक्रम की MSCCSR-207 Research Methodology संरचना को अनुमोदित किया गया।

72/29(5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समेस्टर पद्वति के अनुरूप संरचनाबद्व कर प्रवेश सत्र जनवरी 2025 से लागू किए गए सतत शिक्षा विद्यापीठ से सम्बन्धित कार्यक्रमों की पुष्टि का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समेस्टर पद्वति के अनुरूप संरचनाबद्व कर प्रवेश सत्र जनवरी 2025 से लागू किए गए सतत शिक्षा विद्यापीठ से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यक्रमों की पुष्टि की गईः–

1. बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (बी.जे.) व बी.जे. लेटरल
2. बैचलर ऑफ लाइब्ररी एण्ड इफोरमेशन साईस(बीएलआईएस)
3. डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन (डीएमसी)
4. डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एण्ड इंफोरमेशन सांइस (डीएलआईएस)

72/30 अठाहरवें दीक्षांत समारोह के लिए ग्रेस पास का प्रस्ताव।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को बताया कि अठारहवें दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2026 की तिथी निर्धारित की गई है।

उक्त जानकारी के बाद सदन में कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न तीन सत्रांत परीक्षाओं दिसंबर 2023, जून 2024 एवं दिसंबर 2024 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कुल 75925 विद्यार्थियों को दीक्षा प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

बैठक के अंत में माननीय कुलगुरू महोदय द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को बैठक में अनुभवों एवं विचारों के आधार पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त करने की घोषणा की गई।

तत्पश्चात् आसन को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कार्यवाहक कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद